लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल–462021
दूरभाष–0755–2583659 फैक्स–0755–2583651 ई–मेल cpibhop@nic.in

क्र./रा.मा.शि.अ./अतिथि/2018 /1844 भोपाल दिनांक 05/11/18

प्रति,

MOST URGENT

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त संकुल प्राचार्य, प्राचार्य हाई/हायर सेकैण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः– **अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान करने विषयक।**

संदर्भ– संचालनालय का पत्र क्र./रा.मा.शि.अ./अतिथि/2018/1784, दिनांक 30.10.2018।

सन्दर्भित पत्र के द्वारा अतिथि शिक्षकों को gfms पोर्टल के माध्यम से मानदेय भुगतान के निर्देश दिये गये थे। ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा gfms पोर्टल से जनरेट किये गये मानदेय देयक का स्टेटस संलग्न हैं।

मॉडल,एक्सीलेंस,नवीन प्रोन्नत स्कूल तथा ऐसे स्कूल जिनमें कॉमर्स संकाय एवं अंग्रेजी माध्यम के लिये अतिरिक्त पदों के लिये ऑफलाइन अतिथि शिक्षक रखने की अनुमति संचालनालय द्वारा दी गई थी। इसके अतिरिक्त विद्यालयों द्वारा रखे गये अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग की प्रविष्टि संकुल प्राचार्य द्वारा gfms पोर्टल पर नहीं की गयी। उक्त स्थितियों में रखे गये अतिथि शिक्षकों के मानदेय देयक gfms पोर्टल के माध्यम से जनरेट नहीं हो पा रहें है। दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुये उक्त स्थितियों में इन अतिथि शिक्षकों के मानदेय देयक ऑफलाईन आधार पर तैयार करने की अनुमति दी जाती है, यह अनुमति केवल अक्टूबर 2018 तक के देयकों को तैयार करने के लिये ही है।

अतिथि शिक्षकों के मानदेय देयक को ऑफलाईन आधार पर तैयार करने के पूर्व संकुल प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवेदक को रिक्त पद के विरुद्ध gfms पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों में से ही अतिथि शिक्षक के रूप में रखा गया है अथवा जिन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को ऑफलाईन आधार पर रखने की अनुमति संचालनालय द्वारा दी गयी है। अक्टूबर माह तक के देयकों को दिनांक 5.11.2018 को कोषालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें जिससे दीपावली के पूर्व नियमानुसार कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान हो जाये। ऑफलाईन प्रक्रिया से तैयार देयकों की जानकारी का रिकार्ड रखा जाये। नवम्बर'2018 के देयक ऑनलाईन प्रक्रिया से ही तैयार किये जाये।

जिला शिक्षा अधिकारी उक्त निर्देशों के अनुसार 5.11.2018 को शतप्रतिशत अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करें।

5/11/18
(जयश्री कियावत)
आयुक्त लोक शिक्षण

पृ. क्र. रा.मा.शि.अ./अतिथि/2018 /1845 भोपाल दिनांक 05/11/18

1. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
3. कलेक्टर समस्त जिले।
4. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन भोपाल .462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 03.10.2018

एफ क्र-44-13/2017/20-2 राज्य शासन एतद द्वारा प्रदेश की शासकीय शालाओं में अध्यापन कार्य के लिए प्रभावशील अतिथि शिक्षक व्यवस्था अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों के निम्नानुसार मानदेय की दरें स्वीकृति की जाती है

स.क्र.	अतिथि शिक्षक की श्रेणी	प्रति काल खण्ड दर	मानदेय की अधिकतम मासिक सीमा
1	2	3	4
1	अतिथि शिक्षक वर्ग-1	90	9000
2	अतिथि शिक्षक वर्ग-2	75	7000
3	अतिथि शिक्षक वर्ग-3	50	5000

2. मानदेय की उक्त दरें दिनांक 01.08.2018 से लागू होंगी ।
3. अतिथि शिक्षकों द्वारा न्यूनतम 03 कालखण्ड प्रति दिवस कार्य करना अनिवार्य होगा ।
4. अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर होने वाला व्यय लेखा शीर्ष 40-2202 (02) - (109) -(घ) - 0701-अतिथि शिक्षकों का मानदेय के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।
5. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नोट क्रमांक 713/आर/951/ब-3/चार/2018 दिनांक 29-9-2018 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में जारी किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(प्रमोद सिंह) 3/10/18
उप सचिव,
म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र.44–13/2017/20–2

भोपाल, दिनांक 3/10/2018

प्रतिलिपि :–

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, के विशेष सहायक।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,जनजातीय कार्य विभागा विभाग।
4. महालेखाकार, ग्वालियर म०प्र० ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश भोपाल ।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र,मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13. आर्डर बुक।

3/10/18
उप सचिव
म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग

// लेखीराम/
/ 03102018